

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक
संस्थान, नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक : 31 जुलाई, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा हेतु गैर वेतन मद में द्वितीय किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एस०एस०पी०एच०एण्डपी०जी०टी०आई०/ 2020/107, दिनांक 24-06-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या 31-के अन्तर्गत -20सहायता अनुदान सामान्य मद (गैर वेतन)में प्राविधानित धनराशि रू० 3500.00 लाख के सापेक्ष सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा को द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू० 583.00 लाख (रूपये पांच करोड तिरासी लाख मात्र) अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
 2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
 3. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी०एल०ए०/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जाएगी।
 4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
 5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 एवं शासनादेश दिनांक 11.04.2020 तथा दिनांक 18.05.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 6. प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रू० 187.70 लाख व्यय हेतु अवशेष है। अतएव पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अपेक्षित व्यय (75 प्रतिशत) के पश्चात ही द्वितीय किश्त की धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
 7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
 8. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:- 24 /2020/ 916 / (1) / 71-4-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।